2016 | 00/00 (50)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मुख्यालय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी --विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या-- 70 / 2016

जगन्नाथ पुत्रश्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

-------------वादी

बनाम

1--भीकमसिंह पुत्रश्री देवीसिंह
2--हुकमसिंह पुत्रश्री लालसिंह
3--अशोक पुत्रश्री लालसिंह
4--केशवसिंह पुत्रश्री लालसिंह
जातिगण ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5--राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

..........प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति--
1--श्री जगन्नाथ -- वादी

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ जिला-धौलपुर (राज.)

निर्णय — दिनांक : 14.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा 263, 2401, 2402 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया । उभय पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.7.2017 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित वादी को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ के बावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1—भीकमसिंह पुत्रश्री देवीसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सेपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2401	0.05
	2402/2	0.02
कुल	02	0.07

2—जगन्नाथ पुत्रश्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2402/1	0.02
कुल	01	0.02

3—हुकमसिंह पुत्रश्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2402/3	0.02
कुल	01	0.02

4—अशोक पुत्रश्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2402/4	0.02
कुल	01	0.02

5— केशवसिंह पुत्रश्री लालसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	2402/5	0.02
कुल	01	0.02

खसरा नम्बर 263 पूर्ववत् खातेदारी में दर्ज रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

जिला—धौलपुर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ

जिला–धौलपुर